पशुपालन

गोवंश का संरक्षण-संवर्द्धन में भागीरथ प्रयासों का वर्ष

डा. संजय कुमार श्रीवास्तव

गौवंश का वैसे तो पूरी दुनिया में काफी महत्व है लेकिन भारत के संदर्भ में बात की जाये तो प्राचीन काल से यह अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है। चाहे वह दूध का मामला हो या खेती के काम आने वाले बैलों का। वैदिक काल में गायों की संख्या व्यक्ति की समृद्धि का मानक हुआ करती थी। वैदिक संस्कृति संसार की सर्वोत्तम संस्कृति है। वेद के मनुष्य से अन्य प्राणियों के प्रति मित्रस्य चक्षषा समीक्षा महे - अर्थात् प्रत्येक प्राणि को अपना मित्र समझो, ऐसा व्यवहार करने का निर्देश दिया है।

अपने आसपास आपको आवारा और निराश्रित पशुओं के रूप में गौवंश ही सबसे ज्यादा दिखते और मिलते है। कितनी विडम्बना है कि जिस देश में गाय को माता का दर्जा दिया जाता है, उसी देश में गाय इतनी दयनीय स्थिति में है कि उसे अपना पेट भरने के लिए पालीथीन तक खाना पड़ता है। सामान्यत: पशु पालक/किसान/पशुप्रेमी गोवंश को तब तक ही अपने पास रखता है जब तक उसे उसमें दूध या उससे होने वाले बच्चे से लाभ की उम्मीद होती है वरना वह उसे सड़क पर छोड़ देता है। इंसान किस हद तक स्वार्थी हो चुका है इसकी कल्पना बहुत ही दयनीय है।

वर्ष 2019 के शुरूआत में राज्य सरकार ने निराश्रित गोवंश के लिए एक वृहद कार्य योजना की घोषणा की। प्रदेश के इतिहास में यह पहला मौका था जब किसी सरकार ने इस दुरूह कार्य को करने का बीड़ा उठाया। राज्य के समस्त ग्रामीण व शहरी स्थानीय निकायों - ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर

पशु चिकित्साधिकारी, गोरखपुर

पालिका, नगर निगमों में अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल की स्थापना एवं उसके क्रियान्वयन के विस्तृत रूपरेखा बनायी गयी।

सरकार की निराश्रित गोवंश के लिए अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल की स्थापना एवं संचालन कार्यक्रम में विभिन्न विभागों (राजस्व, नगर विकास, सिंचाई, कृषि, गन्ना, उद्यान, ग्राम्य विकास, पंचायती राज्य, समाज कल्याण, वन विभाग, लघु सिंचाई, नेडा, गृह विभाग एवं पशुपालन विभाग) को शामिल किया गया। इस अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए पशुपालन विभाग को प्रदेश स्तर पर नोडल विभाग नामित किया है।

गोरखपुर में वर्तमान में 24 कांजी हाउस, 20 अस्थायी छोटे गौ आश्रय स्थल, एक वृहद गौ आश्रय स्थल- गाजेगढ़हा, गोला बाजार में, नगर निगम द्वारा संचालित - कान्हा उपवन, एक वृहद गौ आश्रय स्थल नगर पंचायत बड़हलगंज में, एक वृहद गौ आश्रय स्थल नगर पंचायत सहजनवां में बनाये गये है। इनमें कुल 2100 गोवंश रखे गये है। कुछ माह पूर्व लगभग 2700 गोवंश मधावलिया, महराजगंज को भी भेजे गये थे।

प्रत्येक अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल को समीप के पशुचिकित्सालय से जोड़ा गया है। जिससे पशुओं को 24 घंटे चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध रहे।

यह योजना पूर्ण रूप से सफल हो सके, इसके लिए सरकार ने विभिन्न विभागों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जोड़ा है। गौ आश्रय स्थल में रखे गये गोवंश के भरण-पोषण, आवास, पानी एवं ठंड से बचाव के लिए पुख्ता इंतजाम किये गये है। गौवंश की मौत न हो हो यही सबसे बड़ी प्राथमिकता है। पशुपालन विभाग के अधिकारी गौ आश्रय स्थलों पर लगातार रात में निरीक्षण कर रहे है। ठंड से बचाव के लिए मुख्य पशुचिकित्साधिकारी डा. डी. के. शर्मा एवं उप मुख्य पशुचिकित्साधिकारी डा. राजेश त्रिपाठी की पहल पर पशुपालन विभाग ने 'कपड़ा बैंक' (घर के पुराने कपड़े) योजना शुरू की है, जिसमें समाज से फटे-पुराने कपड़े खासतौर से मोटे कपड़े लेकर उसे सिलवा कर गौवंश के लिए ओढ़न तैयार कराये जा रहे जिससे ठंड से बचाव किया जा सके।

इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने सहभागिता योजना शुरू की है, जिसमें प्रत्येक इच्छुक पशुपालक/किसान को चार निराश्रित पशु (गोवंश) मुफ्त में दिये जा रहे है और साथ ही 900/- प्रति पशु प्रति माह की दर से 3600/- महीना सीधे पशुपालक/किसान के खाते में सरकार द्वारा जमा कराये जा रहे है।